रजिस्टर्ड न० पी०/एस० एच० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 8 अक्तूबर, 1988/16 आश्विन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2; 28 सितम्बर, 1988

संख्या 22-4/69-कल्याण सचिव-(पार्ट).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 10-10-1984 और 29-4-1985 का अधिक्रमण करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या 22-4/69-डब्ल्यु० ई० एल० सैक्रेटेरियट, तारीख 30-1-1970 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश गुड कंडक्ट प्रिजनरज् प्रोवेशनल रीलीज नियम के नियम 2 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के उप-निदेशक (कल्याण), को हिमाचल प्रदेश गुड कंडक्ट प्रोवेशनल रीलीज अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अधीन जेल से छोड़े गए व्यक्तियों के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के लिए, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

आदेश द्वारा,
अजय प्रसाद,
आयुक्त एवं सचिव ।

2417-राजपत्र/88-8-10-88—1,234.

मूल्य : 20 पैसे ।

[*Authoritative English text of this Government Notification No.* 22-4/69-*Pt., dated* 28-9-1988 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 28*th September*, 1988

No. 22-4/69-Wel-Sectt. (Pt).—In supersession of this Department notifications of even number, dated 10-10-1984 and 29-4-1985 and in exercise of the powers vested in him under sub-rule (2) of the Himachal Pradesh Good Conduct Prisioners' Probational Release Rules, notified *vide* this Department notification No. 22-4/69-Wel-Sectt., dated 30-1-1970, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Deputy Director (Welfare) as Chief Probation Officer for the superintendence, direction and control of persons released from prison under the provisions of the Himachal Pradesh Good Conduct Prisioner's Probational Release Act, 1968.

By order,
AJAY PRASAD,
Commissioner-cum-Secretary.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, लाहौल एवं स्पीति स्थित केलंग, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

केलंग 14 सितम्बर, 1988

संख्या आपूर्ति शाखा–87/86-3343-3404.—पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एस० निगम, जिला दण्डाधिकारी, जिला लाहौल-स्पीति, केलंग, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त आदेश की अनुसूची 1 में दर्ज निम्नलिखित वस्तुओं का समस्त करों सहित अधिकतम परचून दरों का निर्धारण निम्न प्रकार से करता हूं:—

संख्या	अनुसूची सं० के अनुसार क्रमांक	वस्तु का नाम	समस्त दरों सहित अधिकतम परचून दर
1	2	3	4
			रुपये
1.	2	1. डब्बल रोटी वजन 300 ग्राम नैट मोमजामी कागज मे लिपटी हुई	1.60 प्रति डब्बल रोटी
		2. डब्बल रोटी वजन 350 ग्राम नैट मोमजामी कागज में लिपटी हुई	1.75 ,,
		3. डब्बल रोटी वजन 400 ग्राम नैट मोमजामी कागज में लिपटी हुई	2.00 ,,
		4. डब्बल रोटी वजन 400 ग्राम नैट मोमजामी कागज में लिपटी हुई (जोकि बाहर से खरीद कर लाई होगी।)	2.75 ,,
2.	12	कच्चा मीट	32.00 प्रति किलो
3.	17	पका हुआ खाना:	
		1. जलेबी	18.00 प्रति किलो
		2. बालूशाही/बेसन/लड्डू/पिन्नी/शक्करपारा/खजूर/मटर/बुन्दी	20.00 ,,

2	3	4	
	3. लड्डू मोती चूर	22.00	प्रति किलो
	4. पकौड़े/सेमियां	18.00	,,
	5. मट्ठी	0.50	प्रति एक
	6. समोसा छोटा साईज बिना चना	0.50	,,
	7. समोसा छोटा साईज चना सहित	1.00	,,
	8. समोसा बड़ा साईज बिना चना	0.75	,,
	9. समोसा बड़ा साईज चना सहित	1.50	,,
	10 कुलचा/बटूरा आलू सब्जी के साथ	1.50	,,
	11. सादा परौंठा	1.00	,,
	12. परौंठा आलू सब्जी सहित	2.00	,,
	13. थुपका मीट सहित	4.00	प्रति प्लेट
	14. थुपका मीट सहित	2.50	आधी प्लेट
	15. थुपका मीट रहित	2.00	प्रति प्लेट आधी
	16. थुपका मीट रहित	3.00	प्रति प्लेट
	17. पूरी थाली दाल व सब्जी के साथ	4.50	प्रति प्लेट
	18. पूरी थाली केवल दाल के साथ	3.50	,,
	19. चावल परमल पूरी प्लेट	3.00	,,
	20. चावल परमल आधी प्लेट	2.00	आधी प्लेट
	21. चावल मोटा	2.00	प्रति प्लेट
	22. चावल मोटा	1.00	आधी प्लेट
	23. मीट प्लेट	8.00	प्रति प्लेट
	24. मीट आधी प्लेट	4.50	प्रति आधी प्लेट
	25. मीट रोगन जोश	10.00	प्रति प्लेट
	26. चीकन करी	12.00	,,
	27. विशेष सब्जी प्रति प्लेट	4.00	,,
	28. विशेष सब्जी आधी प्लेट	2.00	,,
	29. विशेष सब्जी पनीर सहित	5.00	,,
	30. विशेष सब्जी पनीर सहित	2.50	आधी प्लेट
	31. मिक्स सब्जी प्रति प्लेट	5.00	प्रति प्लेट
	32. विशेष मिक्स सब्जी	5.00	,,
	33. कच्चा अण्डा	0.80	प्रति एक
	34. कच्चा अण्डा	9.00	प्रति दर्जन
	35. अण्डा उबला हुआ	1.25	प्रति एक
	36. दो अण्डों का आमलेट	3.00	,,
	37. दाल फ्राईड	3.00	प्रति प्लेट
	38. सादी सब्जी	3.00	,,
	39. सादी सब्जी आधी प्लेट	3.00	,,
	40. चपाती तन्दूरी	0.50	प्रति एक
	41. चपाती तवे की	0.40	प्रति एक
18	1. दूध कच्चा केलंग व उदयपुर	5.00	प्रति किलो
	2. दूध उबला हुआ	5.25	प्रति किलो
	3. दूध चीनी सहित	5.50	प्रति किलो
	4. दही	6.00	प्रति किलो

टिप्पणी.—1. मीट की प्लेट में 200 ग्राम मीट जिसमें कम से कम 5 टुकड़े मीट के डालने होंगे और उसमें 20 ग्राम तरी कुल वजन 400 ग्राम होगा।

2. विशेष सब्जी की प्लेट का वजन 450 ग्राम होगा और पनीर सब्जी में कम से कम 6-6 टुकड़े पनीर के डालने होंगे।

3. दुकानदार को प्रत्येक ग्राहक को कैशमैमो देना आवश्यक होगा, जिस पर ग्राहक का नाम, पता व हस्ताक्षर होने चाहिए।

4. दुकानदार को अपनी दुकान पर सुविधा से पढ़े जाने वाले स्थान पर बेची जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची लगाना आवश्यक होगा, जिस पर मालिक हिस्सेदार व प्रबन्धक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिए।

5. उक्त आदेश समस्त लाहौल एवं स्पीति जिले में तुरन्त लागू होंगे तथा जारी होने की तिथि से एक महीने के लिए कार्यान्वित रहेंगे।

एस0 निगम,
जिला दण्डाधिकारी,
लाहौल-स्पीति, केलंग।

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 1988

संख्या उद्यान-क(3) 4/81-II.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में संयुक्त निदेशक उद्यान/प्रोजैक्ट निदेशक (समन्वयक) श्रेणी-I (राजपत्रित) वेतनमान रुपये 1775—2100 पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो इस विभाग की अधिसूचना सं0 उद्यान-क (3) 4/81-II, दिनांक 3-9-87 द्वारा अधिसूचित किए गए थे को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न (अनुबन्ध-III) के अनुसार संयुक्त निदेशक उद्यान/प्रोजैक्ट निदेशक (समन्वयक) वर्ग प्रथम (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इसके आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना सं0 25-5/69-होर्ट (सैक्ट), दिनांक 19-12-71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किए गए संशोधन अधिसूचित को निरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं बशर्ते कि यह निरसन पहले बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988 कहलायेंगे।

(2) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

अनुबन्ध-III

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्यान विभाग में श्रेणी-I (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988

1. पद का नाम	संयुक्त निदेशक उद्यान/परियोजना निदेशक (समन्वयक)
2. पद की संख्या	एक

3. वर्गीकरण	श्रेणी-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान	रुपये 1775—2100
5. क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है	प्रवरण
6 सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	45 वर्ष तथा इस से कम :

उपबन्धित है कि सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हों :

आगे उपबन्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो उसे निर्धारित आयु सीमा में उस आधार पर छूट नहीं दी जायेगी:

आगे उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत अनुमत है :

आगे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों के लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, की भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों, स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/हों; और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों/स्वायत निकायों में अन्तर्लीत हो गये हों ।

टिप्पणी—1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चित अन्तिम तिथि गिनी जायेगी ।

2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु सीमा तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।

7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यतायें।

अनिवार्य :

(i) उद्यान में एम0 एस0 सी0 तथा इसके साथ पोमोलोजी में विशेषता या इसके समकक्ष ।

(ii) पहाड़ी क्षेत्र के उद्यान विकास में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव तथा इसके साथ प्रशासनिक उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष का अनुभव ।

	वांछनीय : हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाज, भाषा और संस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है पदोन्नति के लिये भी लागू होगी ?	आयु : नहीं । शैक्षणिक योग्यता : हां ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसको कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
10. भर्ती की प्रणाली क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता।	पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	उप-उद्यान निदेशक, फल प्रोद्योग विज्ञ, उद्यान अर्थशास्त्री, उप-उद्यान निदेशक (सूचना), वरिष्ठ विपणन अधिकारी और वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा तथा वेतनमान म कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा और नियमित नियुक्ति के पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो की पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा । पदोन्नति के लिये संयुक्त वरिष्ठता सूची वेतनमान में सेवा काल के आधार पर तैयार की जायेगी । जहां तक सम्भव हो अन्तः वरिष्ठता को नहीं छोड़ा जायेगा । टिप्पणी 1.—पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बशर्ते कि :— (क) उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा की एक कनिष्ठ प्रत्याशी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पर पदोन्नति के लिये योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो तत्सम्बन्धी वर्ग-संवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझे जायेंगे : उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतु विचाराधीन हों वे कम से कम तीन वर्ष की न्यनतम सरकारी सेवा अवधि या भर्ती एवम् पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की अवधि हो, दोनों में से जो भी कम हो रखते हों :

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नति के लिये उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार अनुपर्युक्त/अयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये अयोग्य समझे जायेंगे ।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों के लिये भी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवधि में जोड़ा जायेगा :

उपबन्धित है कि इस प्रकार तदर्थ सेवा सम्मिलित करके स्थाईकरण करनें पर भी परस्पर वरिष्ठता में परिवर्तन न आने पाये ।

(ग) 31-12-83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थाईकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

टिप्पणी 2.—जब कभी नियम 2 के अधीन पदों की संख्या में वद्धि की जाती है तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किये जायेंगे ।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी रचना क्या है ?

जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जायेगी ।

13. परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोगों का परामर्श लिया जायेगा ।

जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिये आवश्यक योग्यतायें

उपर्युक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्न-लिखित का होना आवश्यक है :—

(क) भारतीय नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) विस्थापित तिब्बती जोकि 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के उद्देश्य से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त गणतन्त्र कीनिया, युगांडा, तंजानिया (इससे पूर्व तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी

माना जायेगा जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही दिया जायेगा ।

15 सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन

सीधी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर यदि आयोग/भर्ती प्राधिकारी अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा अथवा व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग/भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों क अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इसे इस तरह से करना है तो उसके कारणों को अंकित कर के हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त करके किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

18. विभागीय परीक्षा

(i) सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा:—

(क) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए,
(ख) सेवा में स्थाईकरण,
(ग) आगामी उच्च पद में पदोन्नति :

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त अवधि के भीतर पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र बन जाता है, उस की पदोन्नति के लिए विचार अन्यथा किया जाएगा और यदि अन्यथा उपर्युक्त पाया जाए, इस विभागीय परीक्षा को पास करने की शर्त पर अस्थायी पदोन्नत कर दिया जाएगा। यदि वह इसे पास करने में असफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है :

आगे यह भी उपबन्धित है कि अधिकारी जिसन विभागीय परीक्षा को इन नियमों की अधिसूचना से पहले किन्हीं अन्य नियमों के अधीन पूरी या

आंशिक रूप से पास कर लिया है, उसे पूरी या आंशिक परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, पास करनी अपेक्षित नहीं होगी :

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और वह अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी ।

(ii) किसी अधिकारी को उसकी सीधे पदोन्नति लाईन के किसी उच्च पद में पदोन्नति होने के उपरान्त उपर्युक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहले ही इससे निचले राजपत्रित पद पर उक्त परीक्षा पास कर ली हो ।

(iii) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड कर के विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक छूट दे सकती है ।

एस० एम० कंवर,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 30 सितम्बर, 1988

संख्या पी० सी० एच०-एच ए० (5) 7/83-II.—क्योंकि श्री प्रेमपाल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत लानाभाल्टा, तहसील पच्छाद के विरुद्ध श्रीमती प्रागों देवी, ग्राम लानामछेर की शिकायत पर तहसील कल्याण अधिकारी पच्छाद द्वारा छानबीन के फलस्वरूप यह तथ्य सामने आया है कि श्रीमती प्रागों देवी को गृह निर्माण के लिए कल्याण विभाग से मू० 2000/- की अनुदान स्वरुप मिली राशि में से श्री प्रेमपाल सिंह प्रधान ने श्रीमती प्रागों देवी से मू० 1100/- रुपये बतौर उधार लिए तहसील कल्याण अधिकारी के सम्मुख उक्त प्रधान ने लिखित रूप में माना था कि यदि श्रीमती प्रागों देवी मन्दिर में शपथ लेकर मू० 1100/- न मिलने की बात करे तो वह उन्हे 1100/- रुपये देने को तैयार है । परन्तु बाद में श्रीमती प्रागों के कसम खाने पर भी उक्त प्रधान ने राशि देने से इन्कार कर दिया । इन हालात में प्रधान की नियत पर शंका की जा सकती है ।

उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-सम्भागीय अधिकारी, राजगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से शीघ्र प्रेषित करने की कृपा करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।